भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1199

उत्तर देने की तारीखः 03.12.2024

वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

1199. श्री बिद्युत बरन महतोः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कोई योजना/कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है और यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे वरिष्ठ नागरिकों, जिन्हें उनके रिश्तेदारों और संतानों द्वारा परेशान किया जा रहा है, के पुनर्वास और उन्हें न्याय दिलाने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं और यदि हां, तो ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए कोई सरकारी योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों को सहायता एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) नामक योजना क्रियान्वित करता है। इस योजना के निम्नलिखित सात घटक हैं :-

i. **एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी)** - वरिष्ठ नागरिक गृहों (वृद्धाश्रमों), सतत देखभाल गृहों आदि के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, पोषण, चिकित्सा और मनोरंजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

ii. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी)** - वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) के तहत, राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य कार्य योजना को लागू करती है। जागरूकता सृजन, संवेदीकरण, मोतियाबिंद सर्जरी और राज्य विशिष्ट कार्यक्रमों जैसी गतिविधियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

iii. **एल्डरलाइन** - वरिष्ठ नागरिकों की शिकायत निवारण और केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे अधिनियम, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दिनांक 01.10.2021 को टोल फ्री नंबर 14567 पर राष्ट्रीय हेल्पलाइन अर्थात 'एल्डरलाइन' शुरू की गई थी।

iv. **राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)** - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) के योजना घटक को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य 15000 रुपये से अधिक मासिक आय वाले और आयु-संबंधी दिव्यांगताओं/विनिर्योग्यताओं से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को ऐसे शारीरिक सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र उपलब्ध कराना है, जो उनके शारीरिक कार्यों को लगभग सामान्य स्थिति में ला सकें। यह योजना दिनांक 01.04.2017 को शुरू की गई थी। इस योजना का क्रियान्वयन एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में 'कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)' (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के माध्यम से किया जाता है।

v. **सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन (एसएजीई)** - एसएजीई योजना घटक का उद्देश्य आम तौर पर सामना की जाने वाली समस्याओं के लिए अनोखे और अभिनव समाधानों को बढ़ावा देना है। इस योजना घटक के तहत, वृद्धजनों के कल्याण के लिए उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं को विकसित करने हेतु अभिनव स्टार्ट-अप की पहचान की जाती है और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। स्टार्ट-अप का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है और फंड इक्विटी के रूप में प्रदान किए जाते हैं, बशर्ते कि सरकारी निवेश फर्म की कुल इक्विटी का 49% से अधिक न हो।

vi. **जराचिकित्सा सेवा प्रदाता प्रशिक्षण** - इस योजना घटक का मुख्य उद्देश्य जराचिकित्सा सेवा प्रदाताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के अंतर को पाटना है ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक प्रोफेशनल सेवाएं प्रदान की जा सकें और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में प्रोफेशनल सेवा प्रदाताओं का एक काडर तैयार किया जा सके।

vii. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य पहल**: स्वस्थ और सक्रिय वृद्धावस्था की समस्याओं को समाधान करने के लिए देश भर में कई पहलों को क्रियान्वित किया गया है।

(ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वृद्ध जनसंख्या के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 (एमडब्ल्यूपीएससी अधिनियम)' नामक एक अधिनियम अधिसूचित किया है। उक्त अधिनियम की धारा 7 में न्यायाधिकरणों के गठन का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता राज्य के उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा की जाएगी। अधिनियम की धारा 9 के तहत, ये न्यायाधिकरण वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी उनके बच्चों/रिश्तेदारों को सौंपने के लिए आदेश जारी कर सकते हैं। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 24 और 25 के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों को संकट में छोड़ने के इरादे से उनका परित्याग और उत्पीड़न एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए तीन महीने तक का कारावास या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह प्रावधान वृद्ध रिश्तेदारों की देखभाल करने के लिए परिवार के सदस्यों के कानूनी दायित्व को रेखांकित करता है और उनकी संभावित उपेक्षा को रोकता है।

(ग): सरकार ने फ्लैगशिप योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के स्वास्थ्य कवरेज को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए बढ़ा दिया है, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। इसके अलावा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई) योजना का क्रियान्वयन करता है। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: (i) समुदाय आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण, (ii) पीएचसी/सीएचसी स्तर पर समर्पित सेवा, (iii) 10 बिस्तरों वाले वार्डों के साथ जिला अस्पतालों में समर्पित सुविधाएं, (iv) वृद्धजनों के लिए समर्पित तृतीयक स्तर की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय जराचिकित्सा केंद्रों को मजबूत बनाना, (v) मास मीडिया, लोक मीडिया और अन्य संचार चैनलों का उपयोग करके सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) और (vi) जराचिकित्सा में कार्यक्रम और अनुसंधान की निरंतर निगरानी तथा स्वतंत्र मूल्यांकन और एनपीएचसीई का कार्यान्वयन (vii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तृतीयक घटक का नाम बदलकर वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय वरिष्ठ जन स्वास्थ्य योजना कर दिया गया है जिसके अंतर्गत 17 क्षेत्रीय जराचिकित्सा केन्द्र तथा 02 राष्ट्रीय वृद्धावस्था केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

****